लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5308

जिसका उत्तर बुधवार, 05 अप्रैल, 2023 को दिया जाएगा

कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए विज्ञापनों हेतु मानदंड

5308. श्री ओम पवन राजेनिबांलकर:
श्री अरविंद सावंत:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉस्मेटिक उत्पादों, जंक फूड और पेय पदार्थों के विज्ञापन जारी करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;
(ख) क्या सरकार इस संबंध में समय-समय पर कोई जांच करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;
(घ) क्या सरकार को विभिन्न झूठे विज्ञापनों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या इसकी कोई जांच की गई है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए ऐसे झूठे प्रचार और विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या सरकार ने ऐसे उत्पादों के उपयोग के बारे में बच्चों की धारणा को प्रभावित करने वाले 'फेयर' प्रचार और विज्ञापनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या इसमें कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (छ): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, दिनांक 24.07.2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना, जो अन्य बातों के साथ-साथ झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों, जो एक वर्ग के रूप में जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, को विनियमित करने के लिए की गई है।

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का पृष्ठांकन दिशानिर्देश, 2022 अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ अग्रलिखित प्रावधान करते हैं: (क) किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; (ख) लुभावने विज्ञापनों और मुफ़्त का दावा करने वाले विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और, (ग) विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्य।

ये दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे विज्ञापनों को प्रतिबंधित करते हैं जो बच्चों को जोखिमपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने, बच्चों की अनुभवहीनता का लाभ उठाने, या वस्तुओं या सेवाओं के बारे में अवास्तविक दावे से संबंधित होते हैं। ऐसे विज्ञापन उन प्रथाओं को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं जो बच्चों के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं अथवा अगर बच्चे विज्ञापित सामान अथवा सेवाओं को नहीं खरीदते हैं तो उनका उपहास किया जाएगा। जंक फूड के विज्ञापन बच्चों के कार्यक्रमों के दौरान या विशेष रूप से बच्चों के लिए चैनलों पर नहीं दिखाए जा सकते हैं, और प्रचारक उपहारों का उपयोग बच्चों को अनावश्यक रूप से सामान या सेवाएं खरीदने हेतु उकसाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

सीसीपीए ने बच्चों से लेकर बड़ों तक उपभोक्ताओं की विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाले हर क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां कोविड-19 संवेदनशीलता का फायदा उठाया जा रहा था, कंपनियों द्वारा इनमें से कई भ्रामक विज्ञापनों को वापस ले लिया गया और कुछ को संशोधित कर दिया गया। भ्रामक विज्ञापन को वापस लेने के आदेश के साथ सेंसोडाइन और श्योर विजन के खिलाफ 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जिसका अनुपालन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान विनियामक ढांचे के अनुसार, निजी सेटेलाइट चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों/विज्ञापनों के लिए, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बने नियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। विज्ञापन संहिता अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करती है कि:

नियम 7(4): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) में यथाउल्लिखित अनुसार, विज्ञापित वस्तुओं या सेवाओं से कोई दोष या कमी नहीं होगी।

नियम 7(5) किसी भी विज्ञापन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं होगा जिनसे जनता को यह अनुमान लगाने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद या इसके किसी भी घटक में कुछ विशेष या चमत्कारी या आलौकिक गुण या गुणवत्ता है जिसे साबित करना कठिन है।

नियम 7(7): ऐसा कोई विज्ञापन जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता है या उनमें, अस्वास्थ्यकर प्रथाओं में कोई रूचि उत्पन्न करता हो, या उन्हें भीख मांगते हुए या अभद्र या अशोभनीय तरीके से दिखाया जाता हो, केबल सेवा में नहीं दिखाया जाएगा।

निजी सैटेलाइट टीवी चैनल जब विज्ञापन संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है।

******